तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्पेशल अपील / एल0आर0 / 915 / 2005 / नागौर रामाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.11.2019	**खण्ड–पीठ** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **श्री पंकज नरुका, सदस्य** **उपस्थिति :–** श्री सुनील पोकरणा, अधिवक्ता अपीलार्थी श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राज0 अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** प्रार्थी द्वारा हस्तगत अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 10 के तहत माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या 267/2001 शीर्षक सरकार बना अर्जुनराम में पारित निर्णय दिनांक 07–02–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण में उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस दिनांक 15–10–2019 को सुनी गई, जिसके आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत की गई। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने स्पेशल अपील में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–02–2005 में विधिक प्रश्न एवं विधिक प्रभाव रखने वाला बिन्दु निहित है, जिसका निस्तारण खण्डपीठ में किया जाना आवश्यक है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत दिनांक 30–4–1974 को खसरा नम्बर 225 में से 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था और आवंटन के बाद खातेदारी अधिकार दिए गए है। नियम 14(4) का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसे भी खारिज किया जा चुका था। अतः बेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर धारा 82 के तहत रेफरेन्स के माध्यम से आवंटन को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। कलक्टर, जागीर जिला कलक्टर के अधीन नहीं है, अतः रेफरेन्स मैंटेनेबल नहीं है। क्षेत्राधिकार के बिन्दु को किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है। अपीलार्थी के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और खातेदारी प्राप्त होने के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। असाधारण देरी से रेफरेन्स की कार्यवाही को उचित नहीं माना जा सकता है और 25 साल की लम्बी अवधि के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार के नामांतरकरण से कोई व्यक्ति व्यथित है तो वह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्पेशल अपील / एल0आर0 / 915 / 2005 / नागौर रामाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसके विरुद्ध अपील में जा सकता है किन्तु रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त कर स्पेशल अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया। योग्य अधिवक्ता ने अपने समर्थन में न्याय दृष्टान्त 2001(1) आर0बी0जे0 पेज 584, 2018 आर0बी0जे0 पेज 88, 2009 आर0बी0जे0 पेज 201, 1996 आर0बी0जे0 पेज 412, 2000 आर0बी0जे0 पेज 249 2016 आर0बी0जे0 पेज 491, 1993 आर0आर0डी0 पेज 378 आदि का उद्धरण प्रस्तुत किया। इसके विपरीत योग्य राजकीय अति0 अधिवक्ता का कथन है कि धारा 10 के प्रावधान अत्यन्त सीमित हैं। जिला कलक्टर, नागौर ने बी0पी0 बेरी आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में प्रकरण में परीक्षण कराया है और अवैधानिक रुप से भूमिहीन नहीं होते हुए और प्रधान होते हुये तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन कराया जाना पाया गया है। इस प्रकार की स्थिति में यह आवंटन प्रारम्भतः ही छलकपट से कराया जाने से अपर कलक्टर, नागौर ने दिनांक 10-7-2000 को मण्डल को अनुशंषा की है और माननीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। प्रकरण में स्पेशल अपील के माध्यम से पुनः परीक्षण आवश्यक नहीं है। अतः स्पेशल अपील को खारिज किया जाये। उभय पक्षीय बहस तर्को पर मनन करने एवं भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 10 के प्रावधानों को देखने पर पाया जाता है कि एकल पीठ के निर्णय से व्यथित कोई पक्षकार खण्ड पीठ में अपील प्रस्तुत कर सकता है, यदि निर्णय पारित करने वाली सम्बन्धित एकल पीठ, यह उचित पाती है कि प्रकरण खण्ड पीठ के सुनवाई के लिये उपयुक्त है। खण्ड पीठ द्वारा सुनवाई करने से पूर्व यह आवश्यक है कि सम्बन्धित एकलपीठ के सदस्य की इसे अनुमति प्राप्त हो। राजस्व कोर्ट मैनुअल भाग 1 के नियम 9 में खण्ड पीठ द्वारा सुने जाने योग्य प्रकरणों बाबत् प्रावधान हैं, जिनके अनुसार यदि एकल पीठ द्वारा निर्णित प्रकरण में कोई विधिक प्रश्न अथवा विधिक प्रभाव रखने वाली रीति-रिवाज का प्रश्न है तो ऐसे प्रकरण की खण्डपीठ में अपील की जा सकती है। अतः विशेष अपील की अनुमति देने से पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि ***क्या प्रकरण में कोई विधिक प्रश्न अथवा विधिक प्रभाव रखने वाली रीति-रिवाज का प्रश्न है।*** प्रार्थी द्वारा स्पेशल अपील में जो तथ्य अंकित किए हैं उनके अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन के बाद खातेदारी अधिकार दिए गए है। बेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्पेशल अपील / एल0आर0 / 915 / 2005 / नागौर रामाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धारा 82 के तहत रेफरेन्स के माध्यम से आवंटन को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। कलक्टर, जागीर जिला कलक्टर के अधीन नहीं है, अतः रेफरेन्स मैंटेनेबल नहीं है। खातेदारी प्राप्त होने के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। असाधारण देरी से रेफरेन्स की कार्यवाही को उचित नहीं माना जा सकता है। किन्तु वर्तमान प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि बी0पी0 बेरी आयोग की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट में दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन को निरस्त किए जाने हेतु मण्डल को पूर्व में दिनांक 7-4-1997 को अनुशंषा की थी जिसे मण्डल की एकलपीठ ने निर्णय दिनांक 7-4-1998 के द्वारा निर्देशों के साथ वापिस लौटाया था। इसके उपरान्त अपर कलक्टर, नागौर ने अपनी अनुशंषा दिनांक 10-7-2000 में स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि अप्रार्थी भूमि आवंटन का पात्र नहीं रहा है और अपने प्रधान होने का नाजायज फायदा उठाते हुये आवंटन पात्रता नहीं रखते हुये अवैधानिक तरीके से आवंटन कराया है। माननीय एकलपीठ के निर्णय के अध्ययन से स्पष्ट है कि माननीय एकलपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट रुप से मत प्रतिपादित किया है कि "आवंटी द्वारा आवंटन कमैटी में प्रधान होते हुये, भूमिहीन नहीं होते हुये, नियमों के खिलाफ व प्रभाव का गलत उपयोग कर कार्यवाही करवाई गई है और गलत प्रकार से आवंटन कराया गया है जो कि एब-इनीशियो-वौइड है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रभाव का गलत प्रकार से अवैध रुप से उपयोग करते हुये अपने पक्ष में आवंटन कराया है और बेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 82 के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस प्रकार के अनुचित आवंटन के विरुद्ध ना तो समय समय सीमा होती है और ना ही यह यह नियम लागू होता है कि खातेदारी प्राप्त होने के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष की ओर से जो न्याय दृष्टान्त 2001(1) आर0बी0जे0 पेज 584, 2018 आर0बी0जे0 पेज 88, 2009 आर0बी0जे0 पेज 201, 1996 आर0बी0जे0 पेज 412, 2000 आर0बी0जे0 पेज 249 2016 आर0बी0जे0 पेज 491, 1993 आर0आर0डी0 पेज 378 प्रस्तुत किए हैं, वे प्रकरण में पूर्णतया चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि प्रश्नगत आवंटन प्रारम्भ से तथ्यों को छिपाते हुये फ्राड व मिस रिप्रेजैंटेशन के आधार पर कराया जाने से, इस प्रकार के आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। हस्तगत स्पेशल अपील में ऐसा कोई प्रश्न निहित नहीं है जिसके लिए प्रकरण को स्पेशल अपील के माध्यम से परीक्षण योग्य पाया जा कर एकलपीठ के निर्णय में हस्तक्षेप किया जावे। माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड-पीठ ने प्रकरण उन्वानी आशिया बनाम कमिशनर, म्यूनिसपल काउंसिल,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्पेशल अपील / एल0आर0 / 915 / 2005 / नागौर रामाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हनुमानगढ जो आर.बी.जे. (9) 2002 पेज 535 पर प्रकाशित हुआ है, में भी स्पष्ट तय किया है कि धारा 10 के तहत रिव्यू का स्कोप अत्यन्त सीमित है। विशेष अपील को एक अधिकार के रुप में प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। माननीय एकलपीठ के निर्णय द्वारा प्रकरण में निहित समस्त बिन्दुओं को स्पष्ट रुप से तय किया गया है। फलतः स्पेशल अपील सारहीन, आधारहीन व औचित्य से बाहर होने से **खारिज** की जाती है। **(पंकज नरुका)** **सदस्य** **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	